प्रेस नोट *18/02/2025*

जनपद मऊ के समस्त थानों पर आयोजित किया गया वादी दिवस–

आज दिनांक 18.02.2025 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर पंजीकृत मुकदमें से सम्बन्धित समस्त वादियों को नोटिस भेज कर प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को आयोजित वादी दिवस पर बुलाया गया था। इसी क्रम में समस्त थाना प्रभारी द्वारा मुकदमें से सम्बन्धित वादियों से वार्ता किया गया तथा समस्याओं को संज्ञान में लेकर मुकदमें से सम्बन्धित विवेचकगण को निष्पक्ष व त्वरित आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

साथ ही साथ थानों पर पंजीकृत मुकदमा वादियों को बुलाकर उनकी समस्याओं को सुनकर शीघ्र निस्तारण हेतु सर्वसंबंधित को निर्देशित किया गया।

आनलाइन धोखाधडी से फॉड की गयी कुल धनराशि 19,300/- रुपये थाना सरायलखन्सी साइबर टीम द्वारा वापस कराया गया-

साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धरनाशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की साइबर टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए, आनलाइन धोखाधड़ी से हुयी फ्रॉड, पीडित शिवमुनी यादव पुत्र स्व0 दलश्रृंगार यादव निवासी तेन्दुली पलिगढ़ थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के कुल 19300/- रुपये की धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना सरायलखन्सी के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता-

प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेश सिंह, निरीक्षक अपराध श्री हरेन्द्र सिंह, उ0नि0 नयन कुमार बर्नवाल, म0उ0नि0 अंशी शुक्ला, का0आ0 आशीष द्विवेदी, का0 धीरज यादव, म0आ0 शिखा तिवारी थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।

'आपरेशन क्लीन' अभियान के अन्तर्गत थाना सरायलखन्सी पर मुकदमों से सम्बन्धित कुल 14 दोपहिया वाहनों की नीलामी कराकर कुल ₹66100/- (66 हजार एक सौ रुपये) के राजस्व की प्राप्ति की गई।

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी श्री पियूष मोर्डिया के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद मऊ में थानों पर लंबित माल मुकदमाती/लावारिस वाहनों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे "ऑपरेशन क्लीन" अभियान के क्रम में नायब तहसीलदार सदर श्री अभिषेक वर्मा व प्रभारी निरीक्षक सरायलखन्सी श्री शैलेष सिंह की उपस्थिति में दिनांक 18.02.2025 को थाना सरायलखन्सी पर विभिन्न जनपदों से आये 03 रजिस्टर्ड कबाड़ व्यापारियों के समक्ष बोली लगवाकर नीलामी

प्रक्रिया के अन्तर्गत 14 दोपहिया वाहनों का निस्तारण कराकर जीएसटी सहित कुल ₹66100/- (66 हजार एक सौ रुपये) राजस्व की प्राप्ति की गयी। प्राप्त धनराशि को नियमानुसार राजकोष में जमा किया जायेगा।

02 वांछित तथा 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 18.02.2025 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 250/24 धारा 3(5),61(2),318(4),319(2),336(3),338,340(2) बीएनएस व 12(3) पासपोर्ट अधि0 1967 में वांछित अभियुक्त चन्द्रभान पुत्र लालबिहारी यादव निवासी दौनाडीह थाना बडहलगंज जनपद गोरखपुर, थाना मधुबन पुलिस द्वारा शुग्गी चौरी पुलिया के पास से मु0अ0सं0 310/24 धारा 107,238(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त शम्भू पाल पुत्र हरदेव पाल निवासी सिसवा थाना मधुबन व थाना कोपागंज पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तगण महेन्द्र यादव पुत्र सुराती निवासी टरियाव थाना कोपागंज, अजीर्जुहमान पुत्र इफ्तिखार निवासी हुंशापुरा थाना कोपागंज तथा थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक माजा नट पुत्र वकील नट निवासी खानापुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

चोरी की 02 बकरियां तथा घटना में प्रयुक्त एक बोलेरो के साथ 02 शातिर चोर गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.02.2025 को थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर चकरा क्रासिंग के पास से अभियुक्तगण रोशन कुमार पुत्र फुलबदन निवासी थलईपुर, साहिल यादव पुत्र हरिहर यादव निवासी कड़ौरा थाना हलधरपुर जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की 02 बकरियां व घटना में प्रयुक्त एक अदद बोलेरो बरामद किया गया। इस संबंध में उक्त अभियुक्तो के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 56/25 धारा 303(2),117(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्तो का चालान न्यायालय किया गया। बरामद एक चार पहिया बोलेरो को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. रोशन कुमार पुत्र फुलबदन निवासी थलईपुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ।
2. साहिल यादव पुत्र हरिहर यादव निवासी कड़ौरा थाना हलधरपुर जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. 02 बकरियां।
2. चोरी में प्रयुक्त एक अदद बोलेरो।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 05 वर्ष की कारावास व ₹40,000 के अर्थदंड से हुया दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 18-02-2025 को मु0अ0सं0 215/2019

धारा 323/326/504 भादवि0 थाना कोपागंज में दोषसिद्ध अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ मिथून पुत्र जगदीश हरिजन निवासी दोस्तपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 05 वर्ष की कारावास की सजा एवं ₹40,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजक अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी जयन्त तिवारी थाना कोपागंज का सराहनीय योगदान रहा।